प0सं0 - वि0अनु0शा0/ मु0/ स0प0/ 2023-24/ 14/ आई0टी0सी0 करापवंचन/ 591 / राज्य कर

कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)

दिनांक: 7 जून, 2023

<u>कार्यालय आदेश</u>

रिट संख्या - 12637 / 2022 मो0 राशिद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक: 01-05-2023 को पारित आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में बोगस पायी गयी 455 फर्मों के संदर्भ में निम्नवत निर्णय दिया गया है -

"However, before parting with the judgment, as it is undisputed by Mr. Dhirendra Pratap Singh, learned Additional Commissioner, G.S.T. Lucknow and Mr. Vijendra Pal Singh, Assistant Commissioner. G.S.T., Lucknow that in the entire country false input tax credit of amounting Rs. 601.26 crore is claimed by 455 firms / companies under the provisions of Goods and Services Tax, out of which, 49 firms registered in Uttar Pradesh claimed input tax credit of amounting Rs. 182 crore and till now, only Rs. 66 lakh has been recovered by G.S.T. Official.

This Court is of the view that a Special Investigation Team be constituted consisting of Police Official / Investigating Officer, Goods and Service Tax Expert, Audit Expert and Cyber Expert for further investigation in the matter."

उक्त के अनुपालन में राज्य कर विभाग एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक संयुक्त SIT गठित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग एवं प्रस्तावित SIT को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करने हेतु **"श्री हरिलाल प्रजापति, संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0) राज्य कर, मुख्यालय"** को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

समस्त अनुभाग प्रकरण से संबन्धित यथावश्यक सूचना / विवरण तदनुसार नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

7/6/23

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन, पत्र संख्या व दिनांक उक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
3. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय।
5. संबन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फ़ाइल।

संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0), राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।